महत्वपूर्णमानवाधिकार आयोग प्रकरण

संख्या-1/2015/11660-1-15-112(14)09

प्रेषक,

नन्दलाल प्रसाद ,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 **लखनऊ:: दिनांक अप्रैल, 2015**

विषय:- किशोर बन्दी श्री रामू पुत्र श्री जंग बहादुर पटेल की राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, इलाहाबाद की अभिरक्षा में मृत्यु विषयक।

महोदय,

उपयर्ुक्त विषयक गृह (मानवाधिकार) अनु0-1 के पत्र सं0-708 जीछ:-मा0- 1-14-3(420)2009, दिनांक 20.01.2015 तथा सहायक निबन्धक (विधि) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली के केस पत्र सं0-254724 409-10-डीएच, दिनांक 11.10.2014 की छाया प्रति संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 आयोग के निर्देशानुसार प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही सुनिशिचत कराते हुए अपेक्षित आख्या सीधे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली एवं गृह (मानवाधिकार) अनुभाग-1 को उपलब्ध कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या-1/2015/116(1)60-1-15, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सहायक निबन्धक (विधि) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली के पत्र दिनांक 11.10.2014 के सन्दर्भ में।

2- गृह (मानवाधिकार) अनु0-1 के पत्र दिनांक 20.01.2015 के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in